न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 04 / 2022

1 उम्मेद कंवर पुत्री अड़ीसाल सिंह पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रामपूरा बास तहसील व जिला चुरू।

2 मगन कंवर पुत्री अड़ीसाल सिंह पत्नी गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी इक
तारपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक

2/1 सुनिता कंवर पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ठेलासर तहसील व जिला चुरू।

2/2 ममता कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ठेलासर तहसील व जिला चुरू।

3 फतेहसिंह पुत्री अडीसाल सिंह पत्नी रेवत सिंह जाति राजपूत निवासी ठेलासर तहसील व जिला चुरू।

अपीलांटस

बनाम

1 कल्याण सिंह
2 अजीत सिंह
3 अमर सिंह पुत्रगण अड़ीसाल सिंह
4 जगहन सिंह
5 पेपसिंह पुत्रगण जयनारायण सिंह
6 श्रीमती सरबती देवी पत्नी स्व. भोलसिंह उर्फ भोपाल सिंह
7 रमेश सिंह पुत्र स्व. भोलसिंह उर्फ भोपाल सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

8 शिवराज सिंह पुत्र महिपाल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

9 रीना देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (केम्प झुन्झुनूं)

10 रणधीर सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
11 ज्ञानवती देवी पत्नी रणधीर सिंह जाति राजपूत निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
12 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
13 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलोदा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।
15 उप पंजीयक महोदय बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.08.2021 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी उम्मेद कंवर वगै. बनाम कल्याण सिंह वगै. मु.नं. 28/2015 प्रार्थना पत्र बाबत लिये जाने पुनः नम्बर पर अपील आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत

उपस्थिति :

1. श्री बिरजूसिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र निर्वाण, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री कैलाश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री शम्भुदयाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 18/8/25

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा मुकदमा नम्बर 28/2015 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय में आवेदनकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा दावा संख्या 60/2013 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2015 के विरूद्ध दिनांक 16.04.2015 को अपील प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2021 को यह अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है। इस अपील को पुनः नम्बर पर लेने हेतु धारा 5 के आवेदन के साथ यह वाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण दिनांक 25.08.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। उक्त तारीख पेशी से पूर्व अभिभाषक संघ झुन्झुनूं का कार्य स्थगित चल रहा था तथा दिनांक 25.08.2021 को अधिवक्ता के आवश्यक कार्य होने के कारण अन्यत्र गये होने से अपीलान्ट को समय पर तारीख पेशी की सूचना नहीं दे सका। इस कारण दिनांक 25.08.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अपील के दौरान अपीलान्ट नम्बर 2 की कोरोनाकाल में दिनांक 29.04.2020 को देहान्त हो गया जिनकी लिगल वारिसान– सुनिता कंवर पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ठेलासर तहसील व जिला चुरू व ममता कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ठेलासर तहसील व जिला चुरू है। उक्त तारीख पेशी से पूर्व अभिभाषक संघ झुन्झुनूं का कार्य स्थगित चल रहा था तथा दिनांक 25.08.2021 को अधिवक्ता के आवश्यक कार्य होने के कारण अन्यत्र गये होने से अपीलान्ट को समय पर तारीख पेशी की सूचना नहीं दे सका। इस कारण माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25.08.2021 की जानकारी प्रार्थीया को पूर्व में नहीं हो सकी। अब प्रार्थीया अपने वकील साहब से मिलकर उक्त प्रकरण की जानकारी चाही तो प्रार्थीया के वकील ने बताया कि प्रकरण प्रार्थीया की गैरहाजरी के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रकरण में नकल लेने के बाद प्रार्थीया को उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी हुई है। जानकारी के रोज से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है फिर भी कोई कानूनी नुक्स ना रहे इस हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अत प्रार्थना स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गयां है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अजीत सिंह मृत पक्षकार के विरूद्ध यह वाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार मृत पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अपीलान्ट आवेदनकर्ता मृत पक्षकार अजीत सिंह की मृत्यु की जानकारी होने का तथ्य एडीजे खेतड़ी के निर्णय दिनांक 31.05.2025 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अजीत सिंह से प्रमाणित होता है। अपीलांट अपील के निस्तारण के प्रति गंभीर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा अपील विचाराधीन निर्णय से अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। इस न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अजीत सिंह मृत पक्षकार के विरूद्ध यह वाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विधि अनुसार मृत पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अपीलान्ट आवेदनकर्ता मृत पक्षकार अजीत सिंह की मृत्यु की जानकारी होने का तथ्य एडीजे खेतड़ी के निर्णय दिनांक 31.05.2025 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र अजीत सिंह से प्रमाणित होता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में आवेदन आवेदनकर्ता द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.08.2021 के विरूद्ध दिनांक 16.02.2022 को लगभग 6 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय में लंबित अपील दिनांक 25.08.2021 को अदम हाजरी में खारिज किये जाने के पश्चात यह वाजदायरी आवेदन दिनांक 16.02.2022

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को लगभग 6 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदनकर्ता प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है।

वाजदायरी के लिए विधि में एक माह का समय निर्धारित है। प्रस्तुत आवेदन छ माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। इस विलम्ब का संतोषप्रद कारण आवेदनकर्ता द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है।

आवेदनकर्ता द्वारा यह आवेदन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। आदेश 09 नियम 09 के प्रावधान वाद पर लागु होते है, अपील पर लागु नहीं होते है। इस संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 09 में स्पष्ट अंकन है कि **"Decree against plaintiff by default bars fresh suit- (1) Where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. But he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the Court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the Court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit."**

उपरोक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों की रोशनी में आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन वाजदायरी मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/8/15 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II RAS)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर